



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 218 राँची, मंगलवार,

13 मई, 2025 (ई०)

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2025

अधि०सं०-प०नि०वि०-08-निबं०-विविध-15/2011-झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन हेतु प्रतिपादित झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 (यथा संशोधित) को झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अनुपालन हेतु संगत नियम में संशोधन के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के खण्ड (2) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखण्ड के राज्यपाल सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025 प्रतिपादित करते हैं ।

1. (क) यह नियमावली झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025 के नाम से जानी जाएगी ।
(ख) यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
(ग) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 के नियम 5.1 में उप नियम 5.1.7 निम्नरूपेण अन्तःस्थापित किया जाता है :-

उपनियम 5.1.7 -झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017) के अन्तर्गत निबंधित जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र (GST Registration Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

3. झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली- 2008 एवं यथा संशोधित वर्ष 2012 एवं 2018 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, झारखंड, रांची
